

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

①

उनवान

हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा-करौली जरिये सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी - प्रार्थी

बनाम

1. बलवंत पुत्र कमली, जाति मीना निवासी रतियापुरा, तहसील मासलपुर जिला करौली (फौत-नाम हजफ)
 - 1/1 जोधा पुत्र बलवंत (फौत-नाम हजफ)
 - 1/2 तेजराम पुत्र बलवंत
 - 1/3 सागरसिंह पुत्र बलवंत
 सभी जातियान मीना निवासीयान रतियापुरा तहसील मासलपुर
 - 1/4 दक्खो पुत्री बलवंत पत्नि रामगोपाल निवासी सुरारी तहसील सरमथुरा
 - 1/5 मुन्नी पुत्री बलवंत पत्नि रामकेश ग्राम कसारा तहसील मासलपुर
 2. जोधा पुत्र कुंजी जाति मीना, निवासी रतियापुरा, तहसील मासलपुर जिला करौली
 - 2/1 राकेश पुत्र जोधा
 - 2/2 हरज्ञान पुत्र जोधा
 - 2/3 अजेश पुत्र जोधा
 - 2/4 विजयसिंह पुत्र जोधा
 - 2/5 हरिपाल पुत्र जोधा
 - 2/6 श्यामबाई पत्नि जोधा
 सभी जातियान मीना निवासीयान रतियापुरा तहसील मासलपुर - अप्रार्थीगण
- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत ऋणी सदस्य की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत

निर्णय

दिनांक-03.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन के जरिये हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा अप्रार्थीगण की सम्पत्ति/कृषि भूमि जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थीगण की सम्पत्ति/कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 99 के तहत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस में बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा करवाकर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया किन्तु बावजूद नोटिस प्राप्ति अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है और अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आये हैं और ना ही अपना पक्ष रखा गया है।

तत्पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण बलबंत पुत्र कमली व जोधा पुत्र कुंजी जातियान मीना निवासीयान रतियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा करौली से ऋण लिया गया था, जिसे चुकता नहीं कराने पर अप्रार्थीगण की ओर दिनांक 31.03.2012 को बकाया असल 160436/-रूपये, ब्याज 115513/-रूपये, द0ब्याज 17903/-रूपये सहित कुल राशि 293852/-रूपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 147600/-रूपये, ब्याज 189888/-रूपये द0ब्याज 35615/-रूपये, वसूली व्यय 1518/-रूपये, नीलामी व्यय 19373/-सहित कुल राशि 406830/-रूपये की अदायगी अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गयी है। अब उक्त डिक्री की राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिये विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की बैंक में बंदकित सम्पत्ति तत्कालीन आराजी खसरा नं. 265 रकबा 07 विस्वा एवं ख.नं. 266 रकबा 07 विस्वा ख.नं. 267 रकबा 6 विस्वा ख.नं. 268 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ख.नं. 269 रकबा 07 बिस्वा खसरा नं. 270 रकबा 08 विस्वा ख.नं. 271 रकबा 11 विस्वा ख.नं. 272 रकबा 14 बिस्वा ख.नं. 273 रकबा 04 बिस्वा खसरा नंबर 274 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ख.नं. 275 रकबा 14 विस्वा ख.नं. 276 रकबा 2 विस्वा ख.नं. 277 रकबा 03 विस्वा ख.नं. 278 रकबा 4 विस्वा ख.नं. 279 रकबा 14 विस्वा ख.नं. 280 रकबा 03 विस्वा ख.नं. 281 रकबा 08 विस्वा खसरा नं. 282 रकबा 03 विस्वा एवं ख.नं. 283 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा ख. नं. 284 रकबा 08 बिस्वा ख.नं. 285 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा खसरा नं. 287 रकबा 05 विस्वा ख.नं. 288 रकबा 04 विस्वा ख.नं. 289 रकबा 05 बिस्वा ख.नं. 290 रकबा 06 बिस्वा खसरा नंबर 291 रकबा 06 बिस्वा ख.नं. 292 रकबा 06 विस्वा ख.नं. 286 रकबा 1 बीघा 09 विस्वा ख.नं. 293 रकबा 04 विस्वा ख.नं. 294 रकबा 06 विस्वा ख.नं. 295 रकबा 07 विस्वा ख.नं. 296 रकबा 07 विस्वा ख.नं. 297 रकबा 13 विस्वा ख.नं. 298 रकबा 08 विस्वा ख.नं. 302 रकबा 10 विस्वा ख.नं. 303 रकबा 04 विस्वा ख.नं. 304 रकबा 05 विस्वा कुल किता 37 कुल रकबा 22 बीघा 03 विस्वा हिस्सा 1/2 भाग बाके ग्राम कोटा (छाबर) एवं आराजी खसरा नंबर 495 रकबा 2 बीघा 02 विस्वा ख.नं. 497 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा ख.नं. 831 रकबा 1 बीघा ख.न. 832 रकबा 15 विस्वा ख.नं. 1156 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम रतियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली कुल किता 42 कुल रकबा 29 बीघा 1 विस्वा हिस्सा 1/2 भाग को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा दिनांक 14.06.2014, 18.01.2016 एवं 06.01.2017 को जरिये नीलामी की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गई भूमि को प्रार्थी सहकारी बैंक को अंतरित करने हेतु प्रार्थी बैंक के प्रशासक एवं महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. जयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.04.2016 के निर्णय का उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 29.04.2016 को अनुमोदन कर अप्रार्थी की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन भूमि, जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है, का प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की उक्त भूमि जो हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा-हिण्डौन के पक्ष में बंधक है, को उक्त प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी ने निवेदन किया है।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. शाखा-हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन की बकाया ऋण राशि असल 160436/-रूपये, ब्याज 115513/-रूपये, द0ब्याज 17903/-

जिला कलक्टर
करौली


रूपये सहित कुल राशि 293852/-रूपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 147600/-रूपये, ब्याज 189888/-रूपये द0ब्याज 35615/-रूपये, वसूली व्यय 1518/-रूपये, नीलामी व्यय 19373/-सहित कुल राशि 406830/-रूपये जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थी की बैंक में बंदकित भूमि तत्कालीन आराजी खसरा नं. 265 रकबा 07 विस्वा एवं ख.नं. 266 रकबा 07 विस्वा ख.नं. 267 रकबा 6 विस्वा ख.नं. 268 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ख.नं. 269 रकबा 07 बिस्वा खसरा नं. 270 रकबा 08 विस्वा ख.नं. 271 रकबा 11 विस्वा ख.नं. 272 रकबा 14 बिस्वा ख.नं. 273 रकबा 04 बिस्वा खसरा नंबर 274 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ख.नं. 275 रकबा 14 विस्वा ख.नं. 276 रकबा 2 विस्वा ख.नं. 277 रकबा 03 विस्वा ख.नं. 278 रकबा 4 विस्वा ख.नं. 279 रकबा 14 विस्वा ख. नं. 280 रकबा 03 विस्वा ख.नं. 281 रकबा 08 विस्वा खसरा नं. 282 रकबा 03 विस्वा एवं ख. नं. 283 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा ख.नं. 284 रकबा 08 बिस्वा ख.नं. 285 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा खसरा नं. 287 रकबा 05 विस्वा ख.नं. 288 रकबा 04 विस्वा ख.नं. 289 रकबा 05 बिस्वा ख.नं. 290 रकबा 06 बिस्वा खसरा नंबर 291 रकबा 06 बिस्वा ख.नं. 292 रकबा 06 विस्वा ख. नं. 286 रकबा 1 बीघा 09 विस्वा ख.नं. 293 रकबा 04 विस्वा ख.नं. 294 रकबा 06 विस्वा ख. नं. 295 रकबा 07 विस्वा ख.नं. 296 रकबा 07 विस्वा ख.नं. 297 रकबा 13 विस्वा ख.नं. 298 रकबा 08 विस्वा ख.नं. 302 रकबा 10 विस्वा ख.नं. 303 रकबा 04 विस्वा ख.नं. 304 रकबा 05 विस्वा कुल किता 37 कुल रकबा 22 बीघा 03 विस्वा हिस्सा 1/2 भाग बाके ग्राम कोटा (छाबर) एवं आराजी खसरा नंबर 495 रकबा 2 बीघा 02 विस्वा ख.नं. 497 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा ख.नं. 831 रकबा 1 बीघा ख.नं. 832 रकबा 15 विस्वा ख.नं. 1156 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम रतियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली कुल किता 42 कुल रकबा 29 बीघा 1 विस्वा हिस्सा 1/2 भाग को विक्रय करने की कार्यवाही की गई किन्तु बोलीदाताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। हम प्रार्थी के कथनों से सहमत हैं। अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थीगण की रहन रखी गई भूमि तत्कालीन आराजी खसरा नं. 265 रकबा 07 विस्वा एवं ख.नं. 266 रकबा 07 विस्वा ख.नं. 267 रकबा 6 विस्वा ख.नं. 268 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ख.नं. 269 रकबा 07 बिस्वा खसरा नं. 270 रकबा 08 विस्वा ख.नं. 271 रकबा 11 विस्वा ख.नं. 272 रकबा 14 बिस्वा ख.नं. 273 रकबा 04 बिस्वा खसरा नंबर 274 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ख.नं. 275 रकबा 14 विस्वा ख.नं. 276 रकबा 2 विस्वा ख.नं. 277 रकबा 03 विस्वा ख.नं. 278 रकबा 4 विस्वा ख.नं. 279 रकबा 14 विस्वा ख.नं. 280 रकबा 03 विस्वा ख.नं. 281 रकबा 08 विस्वा खसरा नं. 282 रकबा 03 विस्वा एवं ख.नं. 283 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा ख.नं. 284 रकबा 08 बिस्वा ख.नं. 285 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा खसरा नं. 287 रकबा 05 विस्वा ख.नं. 288 रकबा 04 विस्वा ख. नं. 289 रकबा 05 बिस्वा ख.नं. 290 रकबा 06 बिस्वा खसरा नंबर 291 रकबा 06 बिस्वा ख.नं. 292 रकबा 06 विस्वा ख.नं. 286 रकबा 1 बीघा 09 विस्वा ख.नं. 293 रकबा 04 विस्वा ख.नं. 294 रकबा 06 विस्वा ख.नं. 295 रकबा 07 विस्वा ख.नं. 296 रकबा 07 विस्वा ख.नं. 297 रकबा 13 विस्वा ख.नं. 298 रकबा 08 विस्वा ख.नं. 302 रकबा 10 विस्वा ख.नं. 303 रकबा 04 विस्वा ख.नं. 304 रकबा 05 विस्वा कुल किता 37 कुल रकबा 22 बीघा 03 विस्वा हिस्सा 1/2 भाग बाके ग्राम कोटा (छाबर) एवं आराजी खसरा नंबर 495 रकबा 2 बीघा 02 विस्वा ख.नं. 497 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा ख.नं. 831 रकबा 1 बीघा ख.नं. 832 रकबा 15 विस्वा ख.नं. 1156 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम रतियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली कुल किता 42 कुल रकबा 29 बीघा 1 विस्वा हिस्सा 1/2 भाग को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अंतर्गत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा हिण्डौन के पक्ष में अंतरित किये जाने के आदेश दिये

जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोड़ाभीम को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु भिजवाई जावे।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

7

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली